न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 05/2018

1 विनोद कुमार उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री श्यामलाल जाति महाजन निवासी महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।
2 विरेन्द्र सिंह पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी उन्हाली जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती प्रवीण आर्य पत्नी विश्वपाल आर्य जाति जाट निवासी आर्य निवास इन्कम टैक्स कॉलोनी दुर्गापुरा जयपुर।
2 श्रीमती तुलसी खेमावाला पत्नी सुरेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी खेमावाला भवन ग्राम सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर।
3 श्रीमती निलम रावत पत्नी देवेन्द्र सिंह रावत जाति राजपूत निवासी 771 वसुन्धरा कॉलोनी टोंट रोड़ जयपुर।
4 श्रीमती उषा पत्नी कुलदीप सिंह जाति जाट निवासी 790 सेक्टर 15ए हिसार जिला हिसार (हरियाणा)।
4ए मैसर्स पैरामाउण्ट माईन्स एण्ड मिनरल विनस कॉलोनी वार्ड नम्बर 2 शाहपुरा रोड़ नीमकाथाना जिला सीकर जरिये रेस्पोडेंट संख्या 5 ता 10।
5 श्रीमती सुमित्रा मंगोतिया पत्नी महेश मंगोतिया जाति महाजन।
6 श्रीमती गायत्री सैनी पत्नी सुन्दरमल सैनी जाति माली।
7 श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल पत्नी राजकुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल।
8 श्रीमती सरिता दीवान पत्नी त्रिलोकाचन्द दीवान जाति महाजन।
9 श्रीमती उषा बंका पत्नी सुभाष चन्द बंका जाति महाजन।

भू-प्रबन्ध अधिकारी-एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ...
सत्यमेव जयते
सीकर

10 श्रीमती मिनाक्षी दुबे पत्नी शिवशरण दुबे जाति ब्राहम्ण समस्त निवासीगण वार्ड नम्बर 2 शाहपुरा रोड़ नीमकाथाना जिला सीकर।

11 श्रीमती सावित्री पत्नी रतनलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी नेहरू नगर पानीपेच जयपुर।

12 रामचन्द्र पुत्र श्योकरण।

13 लीलाराम पुत्र श्योकरण।

14 श्रीराम पुत्र श्योकरण।

15 रतीराम पुत्र श्योकरण समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी खानीवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

16 नाथी देवी पुत्री परसाराम।

17 माली देवी पुत्री परसाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी हाल नारदा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

18 बुद्वराम पुत्र भगवानाराम।

19 बनारसी बेवाह सुण्डा।

20 प्रकाश पुत्र सुण्डा।

21 रामजीलाल पुत्र सुण्डा।

22 छोटुराम पुत्र सुण्डा समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी खानीवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

23 सुल्तान पुत्र रामदेव।

24 पूर्ण पुत्र सुल्तान।

25 रामस्वरूप पुत्र सुल्तान।

26 जानकी बेवाह सुल्तान समस्त जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी मोल्यावाली तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

27 बिड़दा पुत्र सुरजा।

28 ग्यारसीलाल पुत्र सुरजा।

29 केदारमल पुत्र सुरजा।

30 प्रहलाद पुत्र भंवरा।

31 गिरधारी पुत्र भंवरा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

32 रामजीलाल पुत्र भंवरा।
33 श्योनाथ पुत्र गंगुराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी खानीवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
34 चन्द्रा पुत्र गोपाल।
35 हरसहाय पुत्र भंवरा।
36 टोडाराम पुत्र भंवरा।
37 हजारी पुत्र भंवरा।
38 रामकुवांर पुत्र भंवरा समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी कुण्डी की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
39 नोजली बेवाह जमन।
40 रामावतार पुत्र जमन।
41 प्रहलाद पुत्र प्रभाता।
42 सुरेश पुत्र सुरजा।
43 तेजाराम पुत्र सुरजा।
44 शंकरलाल पुत्र सुरजा समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी कुण्डी की तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
45 मंगतू पुत्र चेनाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी खानीवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
46 अणची बेवाह बोदु।
47 भादर पुत्र बोदु।
48 बुला पुत्र सुरजा।
49 रामनिवास पुत्र सुरजा।
50 गौरा बेवाह सुरजा।
51 मूला पुत्र भंवरियां।
52 टोडा पुत्र झूंथा।
53 श्योदान पुत्र झूंथा।
54 शंकरलाल पुत्र मल्ला।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

55 महावीर पुत्र मल्ला समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी खानीवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

56 रावता पुत्र महादेव।

57 हणमान पुत्र महादेव।

58 घीसा पुत्र रेखा समस्त जाति यादव निवासीगण ढ़ाणी रावतावाली तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

59 भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथान जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रार्थना पत्र कायम मुकाम

उपस्थिति :

1. श्री विजयसिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सूण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 01.02.2021

प्रस्तुत आवेदन बाज दायरी संख्या 05/2018 में अप्रार्थी संख्या 23 सुल्तान, अप्रार्थी संख्या 33 श्योनाथ, अप्रार्थी संख्या 40 रामोतार, अप्रार्थी संख्या 41 प्रहलाद, अप्रार्थी संख्या 45 मंगतु की मृत्यु पर प्रस्तुत कायम मुकाम आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 23 सुल्तान पुत्र रामदेव जाति गुर्जर ढ़ाणी मौल्यावाली तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का देहान्त हो चुका है इसके वारिस पहले से ही अप्रार्थी संख्या 24,25,26 के रूप में रिकार्ड पर है इसलिये सुल्तान पुत्र रामदेव का नाम हज्ब किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 33 श्योनाथ पुत्र मांगुराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी खानीवाली तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का देहान्त हो चुका है जिसकी सूचना अप्रार्थीगण के वकील ने न्यायालय को नहीं दी है अप्रार्थी संख्या 33 के ज्ञात वारिसान उसके दो पुत्र पूरण एवं मालाराम है जिनको श्योनाथ की जगह कायम मुकाम के रूप में रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 40 रामावतार पुत्र जमन जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी कुण्डी तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का देहान्त हो चुका है जिसकी सूचना अप्रार्थीगण के वकील ने न्यायालय को नहीं दी है अप्रार्थी संख्या 40 के ज्ञात वारिसान 1 पुत्र राकेश है जिसको रामावतार के जगह कायम मुकाम के रूप में रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित हे। अप्रार्थी संख्या 41 प्रहलाद पुत्र प्रभाता जाति गुर्जर निवासी कुण्डी की ढ़ाणी तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का देहान्त हो चुका है जिसकी सूचना अप्रार्थीगण के वकील ने न्यायालय को नहीं दी है अप्रार्थी संख्या 41 के ज्ञात वारिसान 5 पुत्र है क्रमश रामकरण, कैलाश, इन्द्राज, रामजीलाल व धनसीराम है जिनको प्रहलाद की जगह कायम मुकाम के रूप में रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी संख्या 45 मंगतू पुत्र चैनाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी खानीवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का देहान्त हो चुका है जिसकी सूचना अप्रार्थीगण के वकील ने न्यायालय को नहीं दी है अप्रार्थी संख्या 45 के ज्ञात वारिसान 3 पुत्र है जो क्रमश छाजूराम, गोधाराम, मालाराम है जिनको मंगतू के जगह कायम के रूप में रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 23 का नाम हज्ब किये जाने का आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

फरमावे व अप्रार्थी संख्या 33,40,41,45 के उपरोक्त वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश करवाया जाकर इनकी तलबी किये जाने का आदेश फरमावें यदि अप्रार्थीगण के वकील अन्य वारिसान जाहिर करते है तो उन्हें भी रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश फरमावें। विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 23 सुल्तान की मृत्यु की कोई तारीख अंकित नहीं की है व मृतक सुलतान के समस्त वारिसान पहले से रिकार्ड पर नहीं है व अवधि भीतर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन अबेट हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 33 श्योनाथ की मृत्यु की प्रार्थीगण ने कोई तारीख अंकित नही की हे जबकि अप्रार्थी संख्या 33 की मृत्यु की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2018 के लिए जारी नोटिस पर न्यायालय में भी आ चुकी थी फिर भी अवधि भीतर प्रार्थीगण ने मृतक अप्रार्थी संख्या 33 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाज दायरी अबेट हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 40 की प्रार्थना पत्र हाजा में तामील भी नही हुई थी अत उसकी मृत्यु की सूचना उसके वकील द्वारा न्यायालय को नही देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है प्रार्थीग्ण ने मृतक अप्रार्थी संख्या 40 की मृत्यु की कोई तारिख अंकित नही की है। अप्रार्थी संख्या 40 रामावतार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है व जिसकी रिपोर्ट न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2018 के लिए जारी नोटिस पर भी आ चुकी थी फिर भी प्रार्थीगण ने मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन अबैट हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 41 प्रहलाद की प्रार्थीगण ने मृत्यु की कोई तारीख अंकित नही की है। प्रार्थना पत्र बाज दायरी में अप्रार्थी संख्या 41 हाजिर नही हुआ था न ही उसका कोई वकील उपस्थित आया है अत उसकी मृत्यु की वकील द्वारा सूचना नही देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अप्रार्थी संख्या 41 की तलबी के लिये इस न्यायालय से जारी नोटिस जो दिनांक 01.05.2018 के लिये जारी किये गये थे उन पर भी मृत्यु की रिपोर्ट आ चुकी थी फिर भी प्रार्थीगण ने अवधि भीतर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 45 मंगतू की प्रार्थीगण ने मृत्यु की कोई तारीख अंकित नही की है। प्रार्थना पत्र बाज दायरी में अप्रार्थी संख्या 45 हाजिर नही हुआ था व न ही उसका कोई वकील था अत उसकी मृत्यु की सूचना वकील द्वारा नही देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अप्रार्थी संख्या 45 की तलबी के लिये इस न्यायालय से जारी नोटिस जो दिनांक 01.05.2018 के लिये जारी किये गये थे उन पर भी मृत्यु की रिपोर्ट आ चुकी थी फिर भी प्रार्थीगण ने अवधि भीतर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है। प्रार्थीगण ने मृतक रेस्पोडेंट की न तो मृत्यु की तारीख अंकित की है और न अवधि भीतर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और न उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अवधि भीतर मृतक रेस्पोडेंट के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया व देरी से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद व शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 23,33,40,41, एवं 45 की मृत्यु के बाद अवधि भीतर इसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। अवधि भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही होने से कानूनन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है। प्रार्थीगण ने अबेंटमेंन्ट निरस्त किये जाने हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद व शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया जो कानूनन प्रस्तुत किये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने बाज दायरी आवेदन अबैट होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 23 सुल्तान की मृत्यु की कोई तारीख अंकित नहीं की है व मृतक सुलतान के समस्त वारिसान पहले से रिकार्ड पर नहीं है व अवधि भीतर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है अप्रार्थी संख्या 33 श्योनाथ की मृत्यु की प्रार्थीगण ने कोई तारीख अंकित नही की है जबकि अप्रार्थी संख्या 33 की मृत्यु की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2018 के लिए जारी नोटिस पर न्यायालय में भी आ चुकी थी फिर भी अवधि भीतर प्रार्थीगण ने मृतक अप्रार्थी संख्या 33 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी संख्या 40 की प्रार्थना पत्र हाजा में तामील भी नही हुई थी अत उसकी मृत्यु की सूचना उसके वकील द्वारा न्यायालय को नही देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है प्रार्थीग्ण ने मृतक अप्रार्थी संख्या 40 की मृत्यु की कोई तारिख अंकित नही की है। अप्रार्थी संख्या 40 रामावतार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है व जिसकी रिपोर्ट न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2018 के लिए जारी नोटिस पर भी आ चुकी थी फिर भी प्रार्थीगण ने मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थी संख्या 41 प्रहलाद की प्रार्थीगण ने मृत्यु की कोई तारीख अंकित नही की है। प्रार्थना पत्र बाज दायरी में अप्रार्थी संख्या 41 हाजिर नही हुआ था न ही उसका कोई वकील उपस्थित आया है अत उसकी मृत्यु की वकील द्वारा सूचना नही देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 41 की तलबी के लिये इस न्यायालय से जारी नोटिस जो दिनांक 01.05.2018 के लिये जारी किये गये थे उन पर भी मृत्यु की रिपोर्ट आ चुकी थी फिर भी प्रार्थीगण ने अवधि भीतर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी संख्या 45 मंगतू की प्रार्थीगण ने मृत्यु की कोई तारीख अंकित नही की है। प्रार्थना पत्र बाज दायरी में अप्रार्थी संख्या 45 हाजिर नही हुआ था व न ही उसका कोई वकील था अत उसकी मृत्यु की सूचना वकील द्वारा नही देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अप्रार्थी संख्या 45 की तलबी के लिये इस न्यायालय से जारी नोटिस जो दिनांक 01.05.2018 के लिये जारी किये गये थे उन पर भी मृत्यु की रिपोर्ट आ चुकी थी फिर भी प्रार्थीगण ने अवधि भीतर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया।

प्रार्थीगण ने मृतक रेस्पोडेंट की न तो मृत्यु की तारीख अंकित की है और न अवधि भीतर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और न उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अवधि भीतर मृतक रेस्पोडेंट के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया व देरी से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद व शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 23,33, 40,41,एवं 45 की मृत्यु के बाद अवधि भीतर इसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। अवधि भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही होने से कानूनन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है। प्रार्थीगण ने अबेंटमेंन्ट निरस्त किये जाने हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद व शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपीलांट प्रकरण के प्रति लापरवाह है एवं गम्भीर नही है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी अपीलांट का बाज दायरी आवेदन अबैट होना प्रमाणित है एवं प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम आवेदन स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। फलस्वरूप प्रार्थी अपीलांट का बाज दायरी आवेदन अबैट होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका...
सीकर